64

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म० प्र०) केम्प उज्जैन

प्र० क्र० / निगरानी 2018
निगरानी-2438/2018/उज्जैन/भू.रा

अम्बाराम पिता नन्दा आयु 58 वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम हासामपुरा तहसील व जिला उज्जैन
(म०प्र०) ---- अपीलार्थी / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

लाखन पिता नगजी आयु वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम हासामपुरा तहसील व जिला उज्जैन
(म०प्र०) --- रेस्पा०/

प्रार्थी ... श्री राधेश्याम बाथम
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ....
06/4/18
06.4.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

343
6/4/18

माननीय न्यायालय अपरतहसीलदार महोदय उज्जैन व्दारा प्रकरण क्रमांक 39/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 09/04/17 से दु:खित एवं व्यथित होकर निगरानीकर्ता व्दारा म०प्र० भू० राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निम्न आधारो एवं तथ्यो पर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

==

प्रकरण के संक्षिप्त निम्नानुसार है
=========================

यह कि प्रत्यर्थी व्दारा माननीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म०प्र० भू० राजस्व सीमांकन हेतु प्रस्तुत किया गया था। एवं प्रत्यर्थी को शासन व्दारा आवंटित पट्टा सर्वे क्रमांक 77 एवं रकबा 0.50 हेक्टेयर व सर्वे क्रमांक 445 रकबा 0.50 हेक्टेयर कुल किता - 2 कुल रकबा 1.00 हेक्टेयर के संबंध मे

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4738/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राधेशयाम बाथम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	